

CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES WELFARE HOUSING ORGANISATION

(An autonomous body of GOI under the aegis of M/o Housing & Urban Affairs) 9th Floor, 'B' Wing, Janpath Bhawan, Janpath, New Delhi – 110 001.

Ph – 23717249/23355408; E-mail: cgewho@nic.in, Website: www.cgewho.in

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI)

Pre-qualification of Civil and MEP Works Agency for Residential Project

Central Government Employees Welfare Housing Organisation (CGEWHO) has been engaged as `Project Manager' by Housing and Urban Development Corporation Ltd (HUDCO) for construction of 152 Dwelling Units for the proposed Group Housing Project at Plot No.28, Sector-4, Vaishali, Ghaziabad, UP.

CGEWHO, on behalf of HUDCO, invites online offers in two bid systems from eligible, reputed and experienced Civil Work Agencies (meeting Pre-qualification Criteria) through CGEWHO's e-Procurement Portal (www.tenderwizard.com/CGEWHO) to indicate their Expression of Interest for Building Works Contract.

Detailed scope of work, technical drawings, preambles and other bid solicitation documents will be made available only to the pre-qualified agencies on the basis of technical and financial competencies.

Application Form along with details minimum prequalification criteria, for this EOI can be downloaded from www.tenderwizard.com/CGEWHO or www.cgewho.in or www.cgewho.in or www.cgewho.in or www.cgewho.in or <a href="https://www.tenderwizard.com/CGEWHO onwards. Last date for submission of EOI is within the 30 days of release of advertisement. A non-refundable fee of Rs 10000/+GST @ 18% towards cost of EOI documents through Demand Draft in favour of CEO, CGEWHO payable at New Delhi should be submitted physically to H.O. as mentioned in the prequalification documents. No off line submission of tender will be accepted and summarily rejected.

Any proposal received not conforming to EOI guidelines will be considered as technically non-compliant and is liable to be rejected. The procedure for selection of agency will be made available with the Application Forms.

CGEWHO reserves its right to pre-qualify or disqualify any or all applications, without assigning any reason thereof. No correspondence in this regard shall be entertained.

Chief Executive Officer CGEWHO

गृ ह

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन

(आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय)

नवां तल, 'बी' खण्ड, जनपथ भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

दूरभाश संख्या : 23717249 / 23355408, ई-मेल : cgewho@nic.in, वेबसाइट : www.cgewho.in

रुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण (ईओआई) आवासीय परियोजना हेतु सिविल एवं एमईपी कार्य एजेंसी की पूर्व—योग्यता

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन (सीजीईडब्ल्यूएचओ) को प्लॉट नंबर 28, सेक्टर—4, वै ााली, गाजियाबाद, उ०प्र० में प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग परियोजना हेतु 152 आवासीय इकाईयों के निर्माण के लिए 'हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरे ान लिमिटेड (हडको)' द्वारा 'परियोजना प्रबंधक' के रूप में नियुक्त किया गया है।

सीजीईडब्ल्यूएचओ, हडको की ओर से, सीजीईडब्ल्यूएचओ के ई—प्रोक्योरमेंट पोर्टल (www.tenderwizard.com/CGEWHO) के माध्यम से पात्र, प्रतिश्ठित और अनुभवी सिविल कार्य एजेंसियों (पूर्व—योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाली) से दो बोली प्रणालियों में ऑनलाइन प्रस्ताव आमंत्रित करता है ताकि भवन निर्माण कार्य अनुबंध हेतु उनकी रुचि की अभिव्यक्ति इंगित की जा सके।

कार्य का विस्तृत दायरा, तकनीकी आरेखण (चित्र), प्रस्तावना और अन्य बोली अनुरोध दस्तावेज केवल तकनीकी और वित्तीय दक्षताओं के आधार पर पूर्व—योग्य एजेंसियों को ही उपलब्ध कराए जाएंगे।

इस ईओआई के लिए न्यूनतम पूर्व—योग्यता मानदंड के विवरण के साथ आवेदन पत्र 20.10.2024 से www.tenderwizard.com/CGEWHO या www.cgewho.in या www.eprocure.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि विज्ञापन जारी होने के 30 दिनों के भीतर है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीजीईडब्ल्यूएचओ के पक्ष में नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ईओआई दस्तावेजों की लागत के लिए 10,000 रुपये + जीएसटी @ 18 % का अप्रतिदेय भाुल्क मुख्यालय को भौतिक रूप से जमा किया जाना चाहिए, जैसािक पूर्व—योग्यता दस्तावेजों में उल्लिखित है। किसी भी ऑफलाइन निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

ईओआई दि ाानिर्दे ों के अनुरूप नहीं होने पर प्राप्त किसी भी प्रस्ताव को तकनीकी रूप से गैर— अनुपालक माना जाएगा और अस्वीकार कर दिया जाएगा। एजेंसी के चयन की प्रक्रिया आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध कराई जाएगी।

सीजीईडब्ल्यूएचओ बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों को पूर्व—अर्हता प्राप्त करने या अयोग्य घोशित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

> मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीजीईडब्ल्यूएचओ